अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 09–112/2013

अपीलार्थी – श्रीमती सीता देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – बिहार सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1797/दिनांक 20.12.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती संगीता सिन्हा त्रिवेणीगंज द्वारा दिनांक 25.07.2012 को 12:30 बजे मरौना परियोजना के केन्द्र सं0– 46 पंचगछिया केन्द्र का "बाल पोषाहार निरीक्षण" किया गया । निरीक्षण के समय केन्द्र की सेविका श्रीमती रेखा कुमारी 37 बच्चे के साथ मौजूद थी , तथा सहायिका श्रीमती सीता देवी अनुपस्थित के संबंध में इस कार्यालय में पत्रांक 1217/प्रो0 दिनांक 24.08.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग किया गया तथा अपना स्पष्टीकरण देने हेतु दिनांक 31.08.2012 को तिथि भी निर्धारित किया गया।

उपर्युक्त में संबंध में दिनांक 31.08.2012 को सहायिका स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई तथा निरीक्षण के संबंध में अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कहा गया कि अचानक 25.07.2012 को तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण चिकित्सक के पास दिखाने निर्मली चली आई, तथा समय नहीं रहने

एवं मानसिक रूप से स्वस्थ न रहने के कारण केन्द्र पर सूचना नहीं दे पाई। सहायिका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से असहमति प्रकट करते हुए, तथा समय पर सूचना न देने के आरोप में सहायिका सीता देवी को कार्यालय ज्ञापांक 1797/प्रो0 दिनांक 20.12.2012 को चयन मुक्त आदेश निर्गत किया गया।

प्रश्नगत केन्द्र की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि सहायिका सीता देवी की तबीयत निरीक्षण तिथि 25.07.2012 को अत्यधिक खराब हो जाने के कारण अपने बेहतर ईलाज हेतु निर्मली चिकित्सक डॉ0 राम प्रसाद यादव (पी0एच0सी0) निर्मली के पास 8:00 AM में आ गई, जहाँ उन्होने अपना ईलाज कराई। पूर्जा का अवलोकन कराया गया। अतः अस्वस्थ होने के कारण केन्द्र पर नहीं थी, केन्द्र का संचालन सेविका द्वारा किया जा रहा था, निरीक्षण की तिथि को भी 37 लाभुक बच्चें केन्द्र पर थे, बच्चों को पूरक शिक्षा एवं पोषाहार बनाकर खिलाया जा रहा था। इसका मतलब है कि केन्द्र का संचालन समुचित तरीके से हो रहा था।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने सुनवाई के क्रम सी0डी0पी0ओ0 मरौना से चयन मुक्त सहायिका श्रीमती सीता देवी बड़हारा केन्द्र सं0– 46 के संबंध में (मंतव्य युक्त) जाँच प्रतिवेदन की माँग किए थे, जिसके अनुपालन में सी0डी0पी0ओ0 मरौना ने अपने ज्ञापांक 192 दिनांक 05.06.2013 को संमूचित किए कि सहायिका निरीक्षण तिथि को केन्द्र पर आई थी, किन्तु तबीयत अत्यधिक खराब हो जाने के कारण डॉ0 के पास ईलाज करवाने हेतु निर्मली चले गए, लागों ने बताया कि सहायिका का क्रियाकलाप ठीक है, साथ ही निरीक्षण पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि वे नियमित रूप से केन्द्र पर आकर काम करती है, अतः उन्हें चयन मुक्ति निरस्त करने की अनुशंशा की जाती है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सहायिका सीता देवी का कार्य अच्छा रहा है, नियमित केन्द्र पर आती है जिसकी संपुष्टि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सपौल ने सी0डी0पी0ओ0 मरौना के जाँच प्रतिवेदन 192 दिनांक 05.06.2013 से परिलक्षित हुआ, इसके साथ यह भी कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के C.W.J.C.No- 317/2014 में पारित आदेश में उद्धृत है कि एक दिन बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने पर भी चयन मुक्त आदेश गलत एवं असंवैधानिक है। अतः निम्न न्यायालय का निर्णय को किसी भी दृष्टि से सही माना नहीं जा

सकता है, यह आदेश नियम एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत है, आदेश पारित करते समय न्यायिक दृष्टि का उपयोग नहीं किया है, बल्कि बिल्कुल यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि एक दिन की अनुपस्थिति जो सहायिका ने अपने अस्वस्थता के कारण ली है, एवं उसी तिथि को चिकित्सक के पास भी गई है, चिकित्सक पूर्जा संलग्न है, निम्न न्यायालय को इससे ज्यादा प्रमाण की क्या जरूरत है, डॉ0 के चिकित्सा प्रमाण पत्र के अलावे और क्या सबूत दे सकती है। अतः one day absence को आधार मान कर चयन मुक्ति आदेश को setaside किया जाता है, तथा प्रश्नगत केन्द्र की सहायिका को आदेश निर्गत तिथि से सहायिका के पद पर रखा जाता है। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण

कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी पमंडल, सहरसा